I/3584760/2023

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय
(सी जी एच एस -I अनुभाग)

विषय: स्टॉफ कार ड्राइवर के विभिन्न ग्रेड से संबंधित भर्ती नियमों में संशोधन हेतु जन सूचना।

कार्मिक एवम् प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. एबी.14017/61/2008-स्था. (आरआर) दिनांक 13.10.2015 के अनुपालन में, सीजीएचएस में स्टाफ कार ड्राइवर के निम्नलिखित ग्रेड के पद पर भर्ती नियमों आदि से युक्त प्रारूप अधिसूचना संलग्न है:

(i) स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड)
(ii) स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड- II)
(iii) स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड- I)
(iv) स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष ग्रेड)

2. मसौदा भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी या सुझाव देने में रुचि रखने वाले हितधारक अवर सचिव, सीजीएचएस-I अनुभाग, स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली को मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अथवा इस ई- मेल पते पर भेज सकते हैं v.prasad@nic.in

Signed by Vangara Prasad
Date: 25-04-2023 09:56:57

(वंगारा प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन : 23062555

नई दिल्ली
दिनांक : 25-04-2023

[भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (I) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक..........2023

सा.का.नि....- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली (समूह 'ग') अर्द्ध-चिकित्सा और सामान्य श्रेणियों के पदों हेतु भर्ती नियम, 1993, जहाँ तक इनका संबंध ड्राइवर ग्रेड-I (भारी वाहन) और ड्राइवर ग्रेड -II (हल्के वाहन) पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, एतद्वारा केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड) भर्ती नियम, 2023 कहा जाएगा।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में लेवल इन नियमों से जुड़ी अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यता आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यता और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए जायेंगे।

4. अपात्रता- कोई भी व्यक्ति
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसकी पति/पत्नी जीवित है के साथ विवाह किया है या ऐसा अनुबंध किया है, अथवा
(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या ऐसा अनुबंध किया है

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

बशर्ते कि केंद्र सरकार यदि इससे संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह से संबंधित अन्य पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमति योग्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं, इस नियम की प्रभावशीलता से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहाँ केन्द्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से आदेश द्वारा किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किन्हीं प्रावधानों को शिथिल कर सकती है।

6. प्रतिबंध/शर्त (सेविंग्स) - इन नियमों की कोई भी बात समय समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड)।	14* (2023) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ग, अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर -2 वेतन मैट्रिक्स में (19,900-63,200 रूपए)।	लागू नहीं।	18-25 वर्ष* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल)। नोट: आयु सीमा को निर्धारित करने वाली निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से प्राप्त होने वाले आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख लाहौल एवं स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उप प्रभाग, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि)। * 'सीधी भर्ती' यदि सीधे खुली प्रतिस्पर्धा परीक्षा के माध्यम से की जाती है तो आयु सीमा 18-27 वर्ष होगी।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन (एबसॉर्पशन) द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन (एबसॉर्पशन) द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन (एबसॉर्पशन) किया जाना है
7	8	9	10	11
अनिवार्य : (i).मोटर कार का मान्य ड्राइविंग लाइसेंस हो; (ii)मोटर मशीनरी का ज्ञान (अभ्यर्थी के पास वाहन में आने वाली छोटी मोटी खराबियों को ठीक करने का कौशल हो); (iii).मोटर कार चलाने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव; और (iv). दसवीं पास हो । वांछनीय : होमगार्ड/ सिविल वालंटीयर के रूप में 3 वर्ष की सेवा । नोट 1: अनुभव के संबंध में योग्यता में छूट सक्षम प्राधिकारी के विवेक से दी जा सकती है। नोट 2: चयन प्रक्रिया के किसी स्तर पर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक अनुभव वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं ।	सीधी भर्ती या पुनर्नियोजन वालों के लिए दो वर्ष ।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन(एबसार्पशन) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन ।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन(एबसार्पशन): केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन में वेतन मैट्रिक्स (18,000₹-56,900₹) में स्तर 1 में नियमित डिस्पैच राइडर (समूह ग) और समूह ग के कार्मिकों में से, जिनके पास मोटर कार चलाने की योग्यता की जाँच हेतु ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर मोटर कार चलाने का मान्य ड्राइविंग लाइसेंस हो, इनके न होने पर केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स (18,000₹-56,900₹) में लेवल 1 में नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर अथवा नियमित समूह ग कार्मिकों में से जो कॉलम 7 में उल्लिखित आवश्यक योग्यताएं पूर्ण करते हों। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन : एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक अथवा जिन्हें रिजर्व में भेजा जाना है और जिनके पास आवश्यक अनुभव और योग्यताएं हैं पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति दी जाएगी जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र बलों से रिलीज देय है; उसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन आधार पर जारी रखा जा सकता है। नोट: केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य संवर्ग-ब्राह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित इस प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन (एबसार्पशन) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि के अनुसार '56 वर्ष से अधिक नहीं' होगी।

क्या विभागीय पदोन्नति समिति बनी है इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियाँ जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती के समय परामर्श किया जाना होगा
12	13
विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- 1) अपर निदेशक, संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर या अपर निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) **-अध्यक्ष** 2) मुख्य चिकित्साधिकारी, संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर, **-सदस्य** 3) प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर अथवा समूह 'क' श्रेणी के एक अधिकारी जो संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर में कार्यरत हों जैसा कि संबंधित अपर निदेशक द्वारा नामाकित हों। **-सदस्य**	लागू नही।

[ए-12018/03/2021-सीजीएचएस-I]

(वंगारा प्रसाद)
अवर सचिव भारत सरकार

[भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक........2023

सा.का.नि.... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली (समूह 'ग') अर्द्ध-चिकित्सा और सामान्य श्रेणियों के पदों हेतु भर्ती नियम, 1993, जहाँ तक इनका संबंध ड्राइवर ग्रेड-I (भारी वाहन) और ड्राइवर ग्रेड -II (हल्के वाहन) पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, एतद्वारा केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II) भर्ती नियम, 2023 कहा जाएगा।

   (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों से जुड़ी अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यता आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यता और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए जायेंगे।

4. अपात्रता- कोई भी व्यक्ति
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसकी पति/पत्नी जीवित है के साथ विवाह किया है या ऐसा अनुबंध किया है, अथवा
   (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या ऐसा अनुबंध किया है
   उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

   बशर्ते कि केंद्र सरकार यदि इससे संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह से संबंधित अन्य पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमति योग्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं, इस नियम की प्रभावशीलता से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहाँ केन्द्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से आदेश द्वारा किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किन्हीं प्रावधानों को शिथिल कर सकती है।

6. प्रतिबंध/शर्त (सेविंग्स) - इन नियमों की कोई भी बात समय समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II)	14* (2023) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ग, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -4 वेतन मैट्रिक्स में (25,500₹-81,100₹) ।	अचयन	लागू नही

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन (एबसॉर्पशन) द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन (एबसॉर्पशन) द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन (एबसॉर्पशन) किया जाना है
7	8	9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति	पदोन्नति स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड) वेतन मैट्रिक्स (19,900₹-63,200₹) में लेवल 2, इस ग्रेड में 9 वर्ष की नियमित सेवा के साथ और सरकार द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट पास किया हो

क्या विभागीय पदोन्नति समिति बनी है इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियाँ जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती के समय परमर्श किया जाना होगा
12	13
विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- 1. निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली -अध्यक्ष 2. अपर निदेशक (मुख्यालय) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली -सदस्य 3. उपसचिव या अवर सचिव (प्रशासन) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली -सदस्य	लागू नहीं

[ए-12018/03/2021-सीजीएचएस-I]

(वंगारा प्रसाद)
अवर सचिव भारत सरकार

[भारत के राजपत्र के भाग ।।, खण्ड 3, उपखण्ड (।) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक............. 2023

सा.का.नि....... -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली (समूह 'ग') अर्द्ध-चिकित्सा और सामान्य श्रेणियों के पदों हेतु भर्ती नियम, 1993, जहाँ तक इनका संबंध ड्राइवर ग्रेड-। (भारी वाहन) और ड्राइवर ग्रेड -।। (हल्के वाहन) पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, एतद्वारा केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-।) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-।) भर्ती नियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों से जुड़ी अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यता आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यता और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए जायेंगे।

4. अपात्रता- कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसकी पति/पत्नी जीवित है के साथ विवाह किया है या ऐसा अनुबंध किया है, अथवा

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या ऐसा अनुबंध किया है

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केंद्र सरकार यदि इससे संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह से संबंधित अन्य पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमति योग्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं, इस नियम की प्रभावशीलता से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहाँ केन्द्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से आदेश द्वारा किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किन्हीं प्रावधानों को शिथिल कर सकती है।

6. प्रतिबंध/शर्त (सेविंग्स) - इन नियमों की कोई भी बात समय समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-I) ।	16* (2023) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ग अराजपत्रित,अननुसचिवीय।	स्तर -5 **वेतन मैट्रिक्स में** (29,200₹-92,300₹)।	अचयन।	लागू नही।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन (एबसॉर्पशन) द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन (एबसॉर्पशन) द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन(एबसॉर्पशन) किया जाना है
7	8	9	10	11
लागू नहीं ।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	पदोन्नति।	पदोन्नति स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II) वेतन मैट्रिक्स (25500₹-81100₹) में स्तर 4, इस ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा के साथ अथवा स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड II और स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड) में 15 वर्ष की सम्मिलित सेवा के साथ, और सरकार द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट पास किया हो

क्या विभागीय पदोन्नति समिति बनी है इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियाँ जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती के समय परमर्श किया जाना होगा
12	13
विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- 1. निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली -अध्यक्ष 2. अपर निदेशक (मुख्यालय) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली -सदस्य 3. उपसचिव या अवर सचिव (प्रशासन) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली -सदस्य	आवश्यक नही।

[ए-12018/03/2021-सीजीएचएस-I]

(वंगारा प्रसाद)
अवर सचिव भारत सरकार

[भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (I) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक............. 2023

सा.का.नि....... -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली (समूह 'ग') अर्द्ध-चिकित्सा और सामान्य श्रेणियों के पदों हेतु भर्ती नियम, 1993, जहाँ तक इनका संबंध ड्राइवर ग्रेड-I (भारी वाहन) और ड्राइवर ग्रेड -II (हल्के वाहन) पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, एतद्द्वारा केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष ग्रेड) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष ग्रेड) भर्ती नियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों से जुड़ी अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यता आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यता और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए जायेंगे।

4. अपात्रता- कोई भी व्यक्ति
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसकी पति/पत्नी जीवित है के साथ विवाह किया है या ऐसा अनुबंध किया है, अथवा

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या ऐसा अनुबंध किया है
उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केंद्र सरकार यदि इससे संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह से संबंधित अन्य पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमति योग्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं, इस नियम की प्रभावशीलता से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहाँ केन्द्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से आदेश द्वारा किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किन्हीं प्रावधानों को शिथिल कर सकती है।

6. प्रतिबंध/शर्त (सेविंग्स) - इन नियमों की कोई भी बात समय समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष ग्रेड) ।	02* (2023) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ख अराजपत्रित,अननुसचिवीय।	स्तर -6 वेतन मैट्रिक्स में (35400₹-112400₹)।	अचयन।	लागू नही।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन (एबसॉर्पशन) द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन (एबसॉर्पशन) द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन(एबसॉर्पशन) किया जाना है
7	8	9	10	11
लागू नहीं।	लागू नहीं।	2 वर्ष	पदोन्नति।	पदोन्नति स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-I) वेतन मैट्रिक्स (29200₹-92300₹) में स्तर 5, इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

क्या विभागीय पदोन्नति समिति बनी है इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियाँ जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती के समय परमर्श किया जाना होगा
12	13
विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- 1.निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली **-अध्यक्ष** 2.अपर निदेशक (मुख्यालय) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली **-सदस्य** 3.उपसचिव या अवर सचिव (प्रशासन) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली **–सदस्य** विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- 1. अपर निदेशक, संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर या अपर निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) **-अध्यक्ष** 2.मुख्य चिकित्साधिकारी, संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर, **-सदस्य** 3.प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर अथवा समूह 'क'श्रेणी के एक अधिकारी जो संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर में कार्यरत हों जैसा कि संबंधित अपर निदेशक द्वारा नामाकित हों। **-सदस्य**	आवश्यक नही।

[ए-12018/03/2021-सीजीएचएस-I]

(वंगारा प्रसाद)
अवर सचिव भारत सरकार